O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 985
Date 17 JUN 2022
AGM (IT)
SE (O)/SE Web
EE
Section

17 JUN 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)
(अपील प्रकरण क्रमांक 06/2022 दिनांक 11.04.2022)

क्रमांक :- 01-02/अपील प्रकरण -06/2022/ 30 रायपुर, दिनांक 12/05/2022

श्री जयगोपाल सोनी अपीलार्थी
जमशेदपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

-:: आदेश ::-
(दिनांक 12/05/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)-तीन, के निर्णय दिनांक 07.03.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) - प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :-

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :-	आपके कंपनी के निदेशक मंडल/संचालक मंडल/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त बैठक कार्यवाही एवं निर्णयों की जानकारी एवं उससे संबंधित दस्तावेज/जानकारी धारा 7(9) के तहत अपने विभागीय वेबसाइट में अपलोड कर लिंक के माध्यम से प्रदान करने बाबत्।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :-	मै जनसूचना अधिकारी के उक्त विनिश्चय से असंतुष्ट हूँ। अतः सूचना का अधिकार के तहत निम्न आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ। (1) यह कि धारा 6 के तहत जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान नहीं किया गया है। (2) यह कि आपकी कंपनी छ.ग. शासन का एक उपक्रम है कोई निजी कंपनी नहीं है आपके कंपनी के द्वारा बोर्ड में लिये गये निर्णय को नागरिक को जानने का अधिकार है। (3) यह कि जनसूचना अधिकारी ने वांछित जानकारी को सूचना का अधिकार की धारा 8(1)(d) एवं धारा 8(1)(e) के अनुसार प्रकटन से छूट है का हवाला देकर देने से मना कर दिया है। अतः वांछित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने की कृपा करें।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण
		28.04.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित। अपील की अगली तिथि 11.05.2022 निर्धारित किया गया। अपीलार्थी को प्रेषित अपील नोटिस पत्र दिनांक 18.04.2022 "No sach person in the address" डाक विभाग द्वारा टीप करते हुए इस कार्यालय में मूलतः वापस प्राप्त हुआ है।
		11.05.2022	अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गयी।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही के तर्क :-	जनसूचना अधिकारी द्वारा तर्क दिया कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में अवगत कराया गया है कि एम. सी. रत्नकरन वि. कैनरा बैंक 1525/ICPB/2008 दिनांक 19.02.2008 में पारित निर्णय के अनुसार कंपनी के निर्देशक मण्डल की बैठक आयोजित की गई, बैठक की समस्त जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नहीं की जा सकती	

		है। उसकी छायाप्रति दी जाने योग्य नहीं है। यह तृतीय पक्ष संबंधी जानकारी होने से अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। BOD की बैठक कार्यवाही एवं निर्णयों की सम्पूर्ण जानकारियॉ सूचनाधिकार की धारा 4 (1) के तहत विभागीय वेबसाइड में अपलोड किया जाना उचित नहीं है। धारा 4 (1) के अनुसार कंपनी की विभागीय जानकारियॉ 17 बिन्दुओं की मैनुअल प्रतिवर्ष अद्यतन कर धारा 4 (2) के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइड में अपलोड की जाती है। अपितु धारा 8 (1) के अनुसार बोर्ड ऑफ मिनिट्स के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रकटन से छूट प्राप्त है। क्योकि उक्त दस्तावेज किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नही रखता है। अतएव गोपनीयता के दृष्टिगत उक्त दस्तावेज को प्रकट किया जाना उचित नहीं है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को की विवेचना से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह नियम अनुरूप है।

अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में कंपनी के निदेशक मंडल/संचालक मंडल/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त बैठक कार्यवाही एवं निर्णयों की जानकारी एवं उससे संबंधित दस्तावेज धारा 7(9) के तहत अपने विभागीय वेबसाइट में अपलोड कर लिंक के माध्यम से प्रदान करने बाबत् लेख किया गया है।

धारा 4(2) के तहत स्व–प्रकटीकरण के तहत कंपनी दस्तावेजों का प्रकटीकरण वेबसाइट पर करती है। अपीलार्थी को चाही गई जानकारी का स्व–प्रकटीकरण कराने का आग्रह अनुचित है। हालांकि अपीलार्थी स्वयं जानकारी निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है। तथापि अपीलार्थी द्वारा जो जानकारी मांगी गयी है वह कंपनी के BOD के समस्त बैठक कार्यवाही एवं निर्णय संबंधी दस्तावेज है। जो धारा 8 (1) के तहत प्रकटन से छूट प्राप्त है। पॉवर कंपनीज में BOD के समक्ष अनेक विषयों से संबंधित मुदद् एजेन्डा एंव संकल्प प्रस्ताव हेतु रखे जाते है, जो गोपनीय प्रकृति के और तृतीय पक्ष से संबंधित होते है। जिसे विभागीय वेबसाइट में अपलोड किया जाना उचित नहीं होगा।

यह उल्लेख किया जाना न्यायसंगत होगा कि यदि अपीलार्थी किसी बैठक विशेष दिनांक की जानकारी चाहेंगे तो जनसूचना अधिकारी उक्त दस्तावेज जो अधिनियम की धारा 8(1) के तहत छूट प्राप्त गोपनीय दस्तावेज है को छोड़कर अन्य जानकारियॉ/दस्तावेज अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावेंगे।

(4) – उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत दर्ज अपील प्रकरण (पंजी. कमांक 06/2022 दिनांक 11.04.2022) एतद् द्वारा निराकृत किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा0सं0)– तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर –अपीलार्थी द्वारा BOD के बैठक विशेष दिनांक की कार्यवाही एवं निर्णयों की जानकारी की मांग किये जाने पर धारा 8(1) के तहत छूट प्राप्त सूचना/दस्तावेज को छोड़कर अन्य दस्तावेज अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावेंगे।

(2) श्री जयगोपाल सोनी, फ्लेट नबंर –5274, विजया गार्डन्स, बारीडीह, जिला –पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर– उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर – 492013, (छ.ग.)
दूरभाष – 2574700, फैक्स – 0771-2574157, वेबसाईट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.csphcl@cspc.co.in